न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 नः— 117 / 2025 2025/373

तारीखरजूः— 04.12.2025

उनवानः— अरविन्द्र बगै0 बनाम मुनेश बगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट

| दिनांक | फर्द अहकाम |
|---|---|
| 04.12.2025 | प्रार्थी की और से श्री विजय भारती एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 13.01.2026 को पेश हो।<br><br>(अमन चौधरी)<br>उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर<br>टोडाभीम जिला करौली |
| 13.1.26 | पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी वकील कोई उपस्थित नहीं बार-बार आवाज लगाई गई। उसके बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं, उपस्थित प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 अस्थायी निषेधाज्ञा अपास पैरवी अपास होने से खारिज किया जाता है।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर लेकर बस्ते रक्षित रफ्तर हो। |

5520-21
8/12/25

हस्ताक्षरित